बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0–निग/सारा–1 (पथ) एन0एच0–87/2013 56(s) पटना, दिनांक :– 03/1/18

श्री उद्वानन्द विश्वास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस स्थित मोहनियाँ सम्प्रति : कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस स्थित मोहनियाँ के पदस्थापन काल में मोहनियाँ चेक पोस्ट के निर्माण कार्य में बरती गयी अनियमितता के आरोप के लिए श्री विश्वास के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4955 (एस) अनु0 दिनांक–04.06.15 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही का संचालन प्रारंभ किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के द्वारा पत्रांक–68/एम0सी0 दिनांक–17.08.15 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अंतर्गत संचालन पदाधिकारी के द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' के तहत गठित कुल 9 (नौ) आरोपों में से 8 (आठ) आरोपों के प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में श्री विश्वास से विभागीय पत्रांक–9537 (एस) अनु0 दिनांक–07.10.15 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी, जो विभिन्न स्मारों के उपरांत भी अप्राप्त रहा।

4. श्री विश्वास द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित करने के क्रम में अपने विभिन्न आवेदनों के माध्यम से यह उल्लेख किया गया कि प्रस्तुत मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–8943/2015 दायर है और तदनुसार याचिका के अन्तिम निष्पादन तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित रखे जाने का अनुरोध किया जाता रहा, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा दिनांक–09.08.16 को श्री विश्वास के दायर समादेश याचिका को खारिज कर दिया गया।

5. श्री विश्वास से द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों की सम्यक् रूप से समीक्षा की गयी। सम्यक् समीक्षा के उपरांत प्रस्तुत मामले में प्रपत्र–'क' के तहत गठित एक आरोप को छोड़कर शेष 8 (आठ) आरोपों के लिए श्री विश्वास दोषी पाये गये।

6. तद्नुलोक में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए श्री विश्वास के विरूद्ध **तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने के दंड प्रस्ताव पर मुख्य सचिव के माध्यम से सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।**

7. उक्त अनुमोदित दंड वृहत शास्ति के अन्तर्गत होने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (7) एवं नियम 20 के परन्तुक के प्रावधानों के क्रम में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–2609 दिनांक–13.09.06 में सन्निहित निदेशों के आलोक में वृहत दंडों को अधिरोपित किये जाने के पूर्व विभागीय पत्रांक–8623 (एस) अनु0 दिनांक–21.10.16 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अनुमोदित दंड पर सहमति/परामर्श की मांग की गयी। उक्त मांगे गये परामर्श/सहमति के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–3557 दिनांक–08.03.17 द्वारा अनुमोदित दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त किया गया।

8. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में प्रस्तुत मामले में संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के तहत प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए सम्यक् विचारोपरांत सरकार के निर्णयानुसार विभागीय अधिसूचना संख्या–2816 (एस) दिनांक–24.03.17 द्वारा श्री उद्दानन्द विश्वास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, कोचस स्थित मोहनियाँ सम्प्रति : कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग के विरूद्ध **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (vi) के तहत निम्न दंड संसूचित** किया गया :–

(i) संचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।

9. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री विश्वास के अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–08.05.17 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया। समर्पित पुनर्विचार आवेदन में मुख्य रूप से निम्नांकित तथ्यों को अंकित किया गया है :–

(i) विभागीय पत्रांक–1807 (एस) दिनांक–28.02.14 द्वारा इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त किया गया तथा पुनः इन्हीं आरोपों के लिए उक्त पत्र निरस्त किये बिना विभागीय कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 (3) एवं 17 (4) का उल्लंघन है।

(ii) बचाव बयान/पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

(iii) पथ क्षतिग्रस्त होने का कारण जल जमाव एवं ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था का नहीं होना तथा संवेदक के साथ हुए एकरारनामा में वर्णित शर्तों के अनुरूप DLP में संवेदक तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा सड़कों के रख–रखाव इत्यादि में शिथिलता बरता जाना है न कि विनिर्माण की गुणवता का त्रुटिपूर्ण होना।

(iv) संचालन पदाधिकारी का क्षेत्राधिकार एवं क्रिया कलाप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में State of Up Vs Saroj Kr. Sinha (2010) 2 SCC, 772 में पारित न्याय निर्णय के विपरीत है ।

(v) DLP को Enforce कराने की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। प्रश्नगत योजना के कार्य समाप्ति की तिथि 15.10.12 थी और वे दिनांक–09.07.12 तक ही संबंधित प्रमंडल में पदस्थापित थे।

(vi) पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश संख्या–349 दिनांक–02.12.10 द्वारा निर्गत निर्धारित मान्यदंड/लिमिट के आलोक में समीक्षा नहीं की गयी है।

(vii) समरूप डिजाईन पर आधारित पाँचों चेक पोस्टों के लेनों में जल जमाव एवं जाम के कारण सड़क क्षतिग्रस्त होने लगा, जिसे विभाग द्वारा प्रयुक्त डिजाईन के त्रुटिपूर्ण होने के कारण उक्त पाँचों ही चेक पोस्टों का पुनर्निर्माण PQC/RCC Pavement के द्वारा कराने का निर्णय लिया गया।

10. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की वृहद विभागीय समीक्षा के उपरांत पाया गया कि प्रपत्र–'क' के तहत गठित आरोपों के संदर्भ में विभागीय जाँच आयुक्त के अधीन संचालित विभागीय कार्यवाही में विश्लेषणोपरांत प्रमाणित पाये गये आरोपों का दोषी पाते हुए ही श्री विश्वास के विरूद्ध सरकार के निर्णयानुसार दंड अधिरोपित किया गया है। हालांकि श्री विश्वास के अपने पुनर्विचार अभ्यावेदन के द्वारा अन्य विभिन्न कारणों से पथ के क्षतिग्रस्त होने का तथ्य स्वीकार किया गया है, परन्तु उनके द्वारा ऐसा कोई नया प्रावधानगत तथ्य अथवा खंडनयुक्त साक्ष्य नहीं रखा है, जिसके आधार पर